200 Rs.

BIHAR

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

१ लेख्यकारी :- श्री कुण्डल साहु पिता का नाम श्री देवचरण साहु स्वर्गीय जाति जैसवाल कलिया व्यवसाय गृहस्थी निवास गांव कोलमेंजरा प्रगना बीरु थाना ठेठैटांगर जिला रांची विक्रेता।

२ लेख्यधारी :- श्री शम्भु प्रसाद पिता का नाम श्री रामेश्वर साहु कायम जाति विवाहुत सुंड़ी व्यवसाय गृहस्थी वो व्यापार निवास गांव सिमडेगा प्रगना बीरु थाना सिमडेगा जिला रांची ... क्रेता।

३ लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला बेला कलामी पुत्र-पुत्रादि सब दिन के लिए खाता टुकड़ा बिक्री होता है।

४ मूल्य :- सौकीमत सात हजार पांच सौ रु. अंके मो० ७५००.०० रु. जिस का आधा मो० तीन हजार सात सौ पचास रु. अंके मो० ३७५०.०० रु. होते हैं।

Scanned with CamScanner

क्रमांक 79/78 दिनांक 5/7/78

[illegible] कुडल साह ने [illegible]

रु 200.00 x 2 = रु 400.00
रु 10.00 x 1 = रु 10.00
रु 5.00 x 1 = रु 5.00

Total रु 415.00

[illegible]

रामसिंह [illegible]
5/7/78

17-6-78

कुडल साह [illegible]

[illegible] 11-6-78

उपरोक्त श्री कुडल साह ने उक्त लेख व
निष्पादन स्वीकार किया। उनकी पहचान [illegible]
महावीर प्रसाद पिता भीखम नारायण साहू ने की।

14/7/78

[illegible]
11-6-78

[illegible]
[illegible]

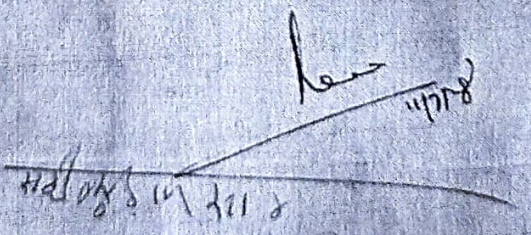

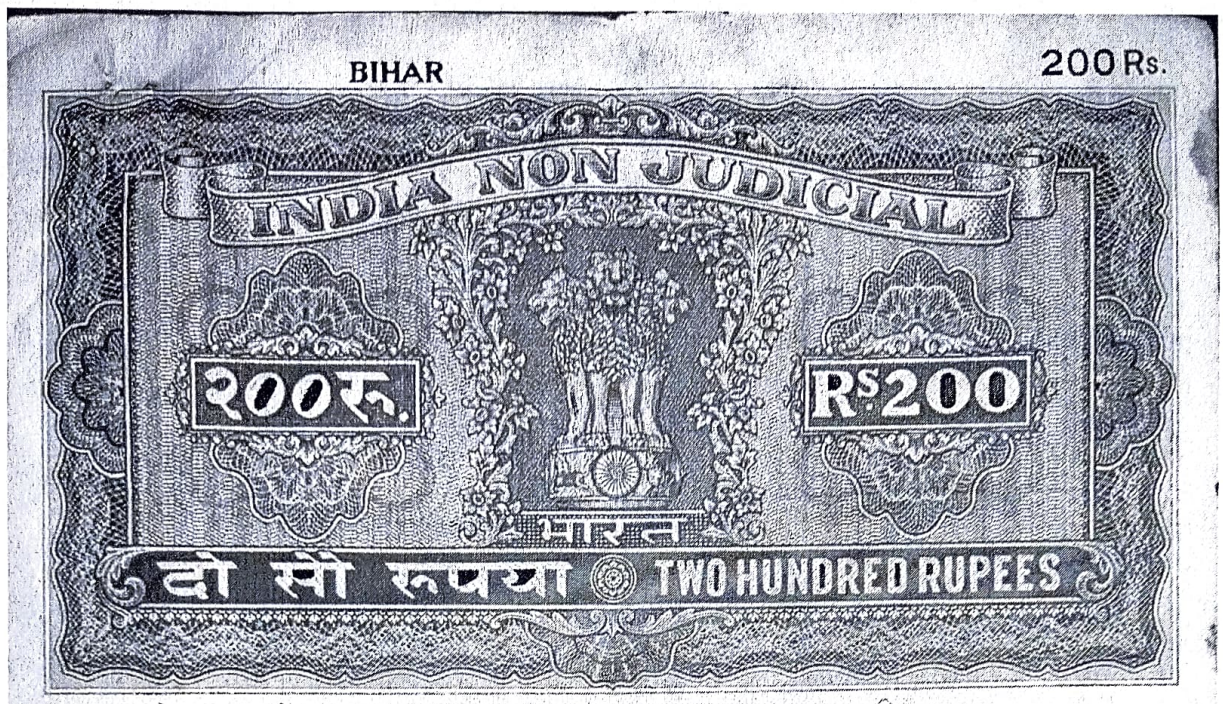

BIHAR 200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

५ सम्पत्ति:— स्वराजिकात अंदर मौजा सिमडेगा का हकियत खास आपनी काश्त कायमी रैयती जमीन अन्दर खाता नं० १५२ का कुल ०.११ डी.(ग्यारह डि०) डि० रकबा जमीन साथ जिस का पुरा-विवरण नीचे दिया गया है।

१ इस समय मुझे कर्ज चुकाने महाजन को मुकदमा खर्च तथा घरेलु जरुरी खर्च के लिए रुपयों की निहायत जरुरी है और जमीन केवाला बेचने के सिवा रुपया पाने का और कोई अन्य उपाय नहीं है। अतः मैं ने उपर्युक्त लेनधारी श्री शम्भु प्रसाद से मेरी जमीन खरीदने की आग्रह की और उन्हों ने जमीन लेना स्वीकार किया।

२ इस लिए मैं ने अपनी इच्छा से शरीर और मन की स्वस्थता में उपर खाना संख्या ५ में वर्णित जमीन उपर्युक्त लेनधारी श्री शम्भु प्रसाद के हाथ मो० ६५००/रु. मुल्य वसुल को चुकता पाकर बेची और इस जमीन का सब-अधिकार का सारा हक-हकूक उक्त लेनधारी का उन के उत्तराधिकारी जो हैं वा होंगे उन्हें हस्तांतरित कर दिया। अब से इस जमीन पर मेरा कोई हक वा अधिकार नहीं रहा और आइन्दे भी फिर कभी नहीं होगा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी का दखलापत्र का।

Scanned with CamScanner

क्रमांक 79/78, दिनांक 6/7/78 के अनुसार [illegible]

[illegible]

(डी. [illegible])

[illegible]

6/7/78

[illegible] 6/7/78

10 Rs.

दस रुपया

भारत

INDIA

१०रू. 10Rs.

TEN RUPEES

३ मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस जमीन पर मेरा हक और दखल कब्जा निर्विवाद है। इस पर किसी प्रकार का भार या झगड़ा कसूर या बारदेन नहीं है।

४ इस लिए यह विक्रय पत्र केवाला कैला कलामी पुत्र पुत्रादि सब दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। जमीन का पूरा विवरण:- मौजा सिमडेगा परगना बीरु थाना सिमडेगा उक्त पद का सब रजिस्ट्री ऑफिस सिमडेगा सदर रजिस्ट्री ऑफिस जो जिला रांची है। थाना नं० ११६ खेवट नं० २ खाता नं० १५२ प्लाट नं० $\frac{६७१}{३१८९}$ रकबा० २६ डी० मे से० ११- डी० सिर्फ जिस का लगान दो रुपये २/ सब जाहिर कि लेखधारी मजकुर इस जमीन पर काबिज दखलकार होकर वो रहकर जोत कोड़ कर प्रति वर्ष फसल आबाद कर या कराकर पैदा पैदवार जोग तसरूफ किया करें या खाद्धा, गाड्डा, टीका लगावें या मकान, बाग, पोखरा, बनावें या कुआं खोदें या बै-बिक्री करें अपने फायदा के लिए सुविधानुसार हर प्रकार कर सकते हैं और जमीनदार बिहार सरकार के अंचल ऑफिस मौजा सिमडेगा के माध्यम से अपने नाम दाखिल खारिज कराकर हर साल निश्चित लगान चुका कर अपने नाम से रसीद हासिल करें। विक्रीत जमीन की चौहद्दी:- उत्तर बारी लेखधारी दक्षिन

कटौती हुई
दि: ११-६-५२

Scanned with CamScanner

दक्षिण दिवाल लीलावती साहु जौजे त्रिवेनी साहु पूरब
बारी पावल उत्तर पश्चिम जगदीश साहु का मकान है।
बिक्री प्लाट के अन्दर एक कच्चा मकान है जिस के कांड खपड़ा
बांस बला लकड़ी, किवाड़ी सीढ़ी वगैरह जो मकान के अन्दर
का घरेलु सामान से लेनधारी का कोई हक वा दावा-दावी
नहीं रहेगा। सन १९५८ ई० के दखल तक लेनधारी अपना
कुल सामान उठा कर ले जायेंगे तब मकान के (साथ) जमीन मे
लेनधारी दखलकार होंगे। आखिरी ... बरवक्त जरूरत कोई रईद
नहीं लिखेगा, बिक्रय पत्र का यह मजमून गोविन्द तथा
गवाहान के सामने लिखा जो पढ़ कर सुना वो समझा दिया तथा
वे खूब पढ़ कर सही मंजूर किए। ता. ११. ६. १९५८ ई०
बजे रहे कि बिक्री प्लाट के अन्दर वो अन्दर चौहद्दी के अन्दर
लेनधारी का एक इंच भी जमीन नहीं रहा। आखिर हक सदर।

INDIA

पाँच रुपया

पाँच रुपया

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

मैं कुण्डल साहु वल्द देवचरण साहु स्वर्गीय सा०
कोनमेंजरा थाना ठेठँटांगर जिला रांची शपथपत्र बयान
करता हूँ कि जो जमीन मैं बिक्री कर रहा हूँ वह बिहार
भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष
भूमि अर्जन में संशोधित अधिनियम 1962 बिहार
शहरी सम्पति सीमा अधिनियम 1962 जो बिहार
गजट एक्सट्रा आर्डिनरी दिनांक 20-8-62 के
प्रकाशित किया गया है के अनुसार सीमा निर्धारण से
ज्यादा नहीं है।

सही - कुण्डल साहु
11.11-62

विक्रेता श्री कुण्डल साहु को श्री महावीर प्रसाद वल्द स्व०
श्री लक्ष्मनारायण साहु सा० सिमडेगा थाना सिमडेगा जिला रांची ने
पहचान की। उस ने मेरे सामने हलफन तसदीक किया
कि उपर के बयान उस के जानकारी एवं विश्वास से
सत्य है।

[illegible] 11.11.62

निबन्धन पदाधिकारी
सिमडेगा

सही महावीर प्रसाद
11.11.62

Scanned with CamScanner